Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag – 3

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 117 /2023/2849 /Thirty-3-2023, dated October 12 , 2023

Notification
No. - 117/2023/2849/Thirty-3-2023
Lucknow, Dated: 12 October, 2023

Uttar Pradesh Road Crash Investigation Scheme, 2023

In exercise of the powers conferred by section 135 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to make the following Scheme with a view to provide for facilitation of investigation of road crashes, namely:-

Short title **1**(1) This Scheme may be called the Uttar Pradesh Crash Investigation Scheme, 2023.
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette.

Definitions **2.** (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, -

a) **"Act"** means the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988);

b) "A**ssistant Regional Transport Officer (Enforcement)"** means Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) or Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) First of the District in which road crash occurs.

c **) "Crash Investigation Form"** means the prescribed proforma for collecting and making the Crash Investigation Report enclosed herewith as Annexure 1 *;*

d) **"District Level Co-ordination Committee"** means a committee constituted under Para 9 of the Scheme;

e) **"Domain Expert"** means a qualified and experienced person or agency with expertise in investigation and forensic analysis of road crashes;

f) **"Engineer"** means the Assistant Engineer nominated by Executive Engineer (Provincial Division), Public Works Department of the district;

g) **"Final Report"** means the Report submitted by the Road Crash Investigation Team and which includes the recommendations on mitigating the causal risk factors.

h) **"Lead Agency"** means the Road Safety Cell set-up under the Transport Department as mandated by the Supreme Court Committee on Road Safety;

i) **"Police Officer"** means such Police Officer of the district, not below the rank of inspector;

j) **"Regional Inspector (Technical)"** means the Motor Vehicle Inspector of the Transport Department in whose jurisdiction a road crash occurs;

k) **"Road Crash"** means the crash of a vehicle on a public place;

l) **"Road Crash Investigation Committee"** means a committee constituted under Para 4 of the Scheme;

m) **"State Level Co-ordination Committee"** means a committee constituted under Para 10 of the Scheme;

(2) All other words and expressions used herein but not defined, and defined in Motor Vehicles Act, 1988, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

Nodal Officer and Associate Officer

3. (1) The Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) of the district shall be the Nodal Officer for the implementation of this Scheme in the district. In the commissionerate deputy commissioner of police (Traffic) and in rest of the district deputy Superintendent of police (Traffic) shall be the associate officer of the nodal officer.

(2) Nodal Officer shall take all necessary action for implementation of this Scheme.

(3) Duties of Nodal Officer/Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) are given in different paragraphs of this Scheme.

Road Crash Investigating Committee

4. (1) There shall be a Road Crash Investigating Committee in every district comprising of the following members:-

a. Traffic Inspector or Police Officer not below the rank of Inspector nominated by Superintendent of Police/Police Commissioner of the district;

b. Engineer nominated by Executive Engineer (Provincial Division) of Public Works Department;

c. Regional Inspector (Technical) nominated by Assistant Regional Transport Officer (Enforcement).

(2) The Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) of the district shall form a committee after finding out the details of the nominated officer from the Superintendent of Police/Police Commissioner and Executive Engineer (Provincial Division) and approval shall be obtained from the District Magistrate.

(3) In the case of transfer of nominated officer etc., immediate nomination shall be obtained from the Superintendent of Police/Police Commissioner or the Executive Engineer, as the case may be, and the approval of the District Magistrate shall be obtained.

(4) Investigation under the Scheme is mandatory in case a road crash results in three or more fatalities.

(5) Information about such a road accident in the district in which at least three people have died shall be made available to the members of the committee immediately by the police station in-charge of the accident site.

(6) It shall be the duty of the District Police Control Room to immediately inform the members of the committee on receipt of such accident information.

Duties of Investigating Police officer

5 (1) Upon receiving the information of road crash, the Investigating Police Officer shall immediately proceed to the road crash site and inform the other members of the committee.

(2) He shall intimate the Lead Agency and Traffic Directorate about the forensic investigation of the crash.

(3) Upon reaching the accident site immediately, he will initiate the investigation proceedings.

(4) The Investigating Police Officer shall complete the crash investigation details in the Crash Investigation Report pertaining to serial numbers 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 37 (1).

(5) He shall discuss the report with the Engineer and Regional Inspector (Technical) within 5 days of the crash;

(6) He shall collect First Information Report (FIR), Medico Legal Certificate and Post Mortem report etc., conduct victim interviews; and collate the final report with Joint Signatures of the committee members, domain expert, if any, and forward the final report to Assistant Regional Transport Officer (Enforcement), Traffic Directorate and Lead Agency of the Transport Commissioner Office within 10 days of the crash.

Duties of the Investigating Engineer

6 (1) On receipt of the information of the accident, immediately after reaching the accident site, investigation action shall be taken by Investigating Engineer with the other members of the committee.

(2) It shall be ensured that proper investigation of the scene with scene photographs as per the Guidance for Photographic Evidence Collection (enclosed herewith as Annexure 2) from a road engineering point of view is conducted.

(3) The Investigating Engineer shall complete the crash investigation details in the Crash Investigation Report pertaining to serial number 1, 2, 4, 5, 6, 28, 29, 32, 35, 37 (2).

(4) After consultation with the other members of the committee, he will sign the final report prepared and provide all the photographs.

Duties of the Investigating Regional Inspector (Technical)

7 (1) On receipt of the information of the accident, immediately after reaching the accident site, investigation action shall be taken by Investigating Regional Inspector (Technical) with the other members of the committee.

(2) He shall conduct vehicle inspection as per section 136 of the Act and other related sections of the Act.

(3) He shall capture eight angle photographs of the vehicle involved in road crash as per the Guidance for Photographic Evidence Collection **(enclosed herewith as Annexure 2).**

(4) He shall complete the crash investigation details in the Crash Investigation Report pertaining to serial number 11, 12, 23, 25, 30, 33, 36 and 37 (3).

(5) After consultation with the other members of the committee, he will sign the final report prepared and provide all the photographs.

Final Report Preparation

8. All the members of the Road Crash Investigation Committee will convene a meeting within five working days to finalize and accordingly sign the Final Crash Investigation Report.

District Level Co-ordination Committee

9 (1) To ensure coordination between the members of the Road Crash Investigation Committee and to resolve any disputes, a coordination committee headed by the District Magistrate shall be formed consisting of the following members:-

a. Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the district or Superintendent of Police (Traffic) or Deputy Commissioner of Police nominated by Police Commissioner of the district;
b. Chief Medical Officer or Additional Chief Medical Officer /Deputy Chief Medical Officer;
c. Executive Engineer (Provincial Division), Public Works Department;
d. Assistant Regional Transport Officer (Enforcement);
e. An Officer nominated by National Highways Authority of India (NHAI),
f. Representative of voluntary agencies/NGOs working in the field of road safety in the concerned district or any experienced/expert person working in the field of road safety at district level in the concerned district;

(2) Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) shall work as the Secretary to the Committee and upon directions from the Chairman of the Committee / District Magistrate, he shall execute all proceedings of the Committee such as its formation and correspondence work etc.

(3) All the three members of the Road Crash Investigation Committee may at any time write to the District Co-ordination Committee to resolve any conflict, i.e., inter-personal coordination or other related difficulties.

(4) If any member of the Road Crash Investigation Committee is deemed guilty of disobeying the Act, Central Motor Vehicle Rules, State Motor

Vehicle Rules or the directions of the Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court, the said Coordination Committee shall initiate departmental action as deemed appropriate by the committee.

(5) The District Level Co-ordination Committee shall ensure that the timelines are followed by the Road Crash Investigation Committee during the investigation.

State Level Co-ordination Committee

10 (1) To ensure co-ordination between all the stakeholders regarding crash investigation, a State Level Committee will be established.

(2) The structure of the aforesaid committee shall be as follows:

a.	Transport Commissioner	Chairman
b.	Inspector General of Police, Traffic Directorate	Member
c.	Chief Engineer nominated by Principal Engineer/ HoD, Public Works Department	Member
d.	Additional Transport Commissioner (Admin)	Member
e.	Additional Transport Commissioner (Road Safety)	Member-Secretary
f.	The representative of voluntary agencies/NGOs working in the field of road safety at State level or experienced/ specialist in this field, at State level.	Member

(3) In every quarter, the Crash Investigation Report and action taken report shall be reviewed by the aforesaid committee.

Action Taken Report

11 (1) The Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) shall prepare an Action Taken Report for every quarter based on all the Crash Investigation Reports from the said quarter. The report shall be submitted within forty-five days from the end of the quarter. The report shall include analysis of causal factors of various crashes,

(2) Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) shall serve as the custodian for all the reports received from the Road Crash Investigation Committee and shall do all the related correspondence.

(3) All investigation report received from the Road Crash Investigation Committee along with the Action Taken Report will be kept by Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) in District Road Safety Committee meeting. All the recommendations and suggestions made in the Crash Investigation Report and the Action Taken Report shall be implemented in a timely manner by the District Road Safety Committee.

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

ANNEXURE – 1

Proforma
Detailed Crash Investigation Report
Road Safety Cell
Transport Department
Government of Uttar Pradesh

CRASH INVESTIGATION REPORT FOR FIR NO.-

Authorised By	
Reviewed By	
Version	
District	
Thana	

Details of the Crash
(To be filled by **POLICE OFFICER):**

Date of Crash	
Time of Crash	
Place of Crash	
District Name	
Nearest Thana	
First Responder to the crash	**Police/DTO/Govt. Ambulance**
Time of arrival of the first responder	
FIR No.	
RCIT Members	
Road Name	
Road Type	
Area & Landmark	
GPS location of Incident	
Crash Severity	**Fatal/Serious/ Minor/ No injury**
EMS arrival time	
Victim transported to which hospital	
No of Vehicle Involved	
Make, Model & trim of Vehicle	
Condition of the Vehicle	**Completely Damaged/ Partially Damaged/ Undamaged**
Total number of occupant involved	
No of Pedestrian involved	
Objects involved	
Total number of fatality	
Occupant injury status	**Fatal/Serious/ Minor/ No injury**
Pedestrian injury status	**Fatal/Serious/ Minor/ No injury/Not Applicable**

Detailed Crash Investigation Report

1.Road Divided By (To be filled by **PWD Engineer**) 1. Barrier Median 2.Curbed Median 3.Grass Median 4. Painted Median 5. None
2.Temporary Traffic Control Zone (To be filled by **PWD Engineer**) 1. None 2.Construction zone 3. Maintenance Zone 4. Utility Zone 5. Incident Zone
3.Light Condition (To be filled by **POLICE OFFICER**) 1. Daylight 2. Dusk 3. Dark (No Street Lights) 4.Dark (Street Lights On, Spot) 5. Dawn 6. Dark (Street Lights Off) 7. Dark (Street Lights On, Continuous)
4.Road System (To be filled by **PWD Engineer**) 1. Expressway 2.State Highway 3. National Highway 4.Rural Road 5.City Road
5.Road Character (To be filled by **PWD Engineer**) 1. Straight and Level 2. Straight and Grade 3. Straight and Hillcrest 4. Curve and Level 5. Curve and Grade 6. Curve and Hillcrest
6.Road Surface Type (To be filled by **PWD Engineer**) 1. Concrete 2. Blacktop 3. Gravel 4.Steel Grid 5.Dirt 6.Pot Holes 7.Cave in 8.Construction Material on Road
7.Road Surface Condition (To be filled by **POLICE OFFICER**) 1. Dry 2.Wet 3.Snowy 4. Water (standing /moving) 5.Sand, mud, dirt 6. Oil
8.Environmental Condition (To be filled by **POLICE OFFICER**) 1. Clear 2.Fog/Smog/Smoke 3.Snow 4. Severe Crosswinds 5. Rain 6. Blowing Sand or Dirt 7.Sun Glare
9.Total Number of Vehicles involved in the crash (To be filled by **POLICE OFFICER**) **-**
10.Crash Type (To be filled by **POLICE OFFICER**) **:** **a. With other Motor Vehicle as First Event?** 1. Same Direction (Rear End) 2. Same Direction (Side Swipe) 3. Right Angle 4. Opposite Direction (Here On, Angular) 5. Opposite Direction (Side Swipe) 6.Struck Parked Vehicle 7. Right Turn /Left Turn/ U Turn 8.Backing 9. Encroachment **b) With below as First Event** 1. Overturn 2.Fixed Object 3. Animal 4. Pedestrian 5. Pedal Cyclist 6. Non-Fixed Object 7. Other Vehicle

11.Oversize/ Overweight Vehicle Permit (To be filled by **RI, Technical)**	
Vehicle 1:	Vehicle 2:
1. Yes	1. Yes
2. No	2. No
12.Vehicle Type(To be filled by **RI)**	
a)Vehicle 1:	**Vehicle 2:**
Private/Commercial/Any other	Private/Commercial/Any other
b)Vehicle 1:	**Vehicle 2:**
Passenger Vehicles	Passenger Vehicles
1. Car/ Mini Van	1. Car/ Mini Van
2. Passenger Van (< 9 seats)	2. Passenger Van (< 9 seats)
3. Motor cycle	3. Motor cycle
4. Auto Rickshaw	4. Auto Rickshaw
5. Pedal Cycle	5. Pedal Cycle
6. Other	6. Other
Truck/ Bus	**Truck/ Bus**
7. Single Unit (2 axle)	7. Single Unit (2 axle)
8. Single Unit(3+ axle)	8. Single Unit(3+ axle)
9. Light Truck with trailer	9. Light Truck with trailer
10. Single Unit Truck with Trailer	10. Single Unit Truck with Trailer
11. Truck Tractor	11. Truck Tractor
12. Tractor Semi-Trailer	12. Tractor Semi-Trailer
13. Tractor Double/ Triple	13. Tractor Double/ Triple
14. Other Truck	14. Other Truck
15. Bus/ Large Van (> 9 seats)	15. Bus/ Large Van (> 9 seats)
c)Special Function Vehicles	**Special Function Vehicles**
1. Work Equipment	1. Work Equipment
2. Police	2. Police
3. Military	3. Military
4. Fire	4. Fire
5. Public Rescue	5. Public Rescue
6. Ambulance	6. Ambulance
7. Educational institution bus	7. Educational institution bus
8. Transit Bus	8. Transit Bus
9. Other	9. Other
d)Cargo Body Type	**Cargo Body Type**
Vehicle 1:	Vehicle 2:
1. Bus (9-15 seats)	1. Bus (9-15 seats)
2. Bus (> 15 seats)	2. Bus (> 15 seats)
3. Van/ Enclosed Box	3. Van/ Enclosed Box
4. Cargo Tank	4. Cargo Tank

5. Flatbed	5. Flatbed
6. Dump	6. Dump
7. Concrete Mixer	7. Concrete Mixer
8. Auto Transporter	8. Auto Transporter
9. Garbage/ Refuse	9. Garbage/ Refuse
10. Hopper (Grain, Gravel, Chips)	10. Hopper (Grain, Gravel, Chips)
11. Pole (trailer)	11. Pole (trailer)
12. No Cargo Body	12. No Cargo Body
13.Direction of Travel of Vehicle (To be filled by POLICE OFFICER)	
Vehicle 1:	**Vehicle 2:**
1. North	1. North
2. East	2. East
3. South	3. South
4. West	4. West

Victim Investigation

14.Victim is occupant of which vehicle (To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. Vehicle 1
2. Vehicle 2
3.Pedal cycle
4.Pedestrian 5.Other
15.Position in/on Vehicle (To be filled by **POLICE OFFICER)**
3. Driver 1,2,4 through 9 – passengers
10. Cargo Area 11. Riding/ Hanging Outside
16.Ejection From Vehicle (To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. Not Ejected 2. Ejected 3. Partial Ejection 4. Trapped
17.Victim's Physical Condition (To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. Killed. 2. Incapacitated 3. Moderate Injury 4. Complain of Pain
18. Victim Details (To be filled by **POLICE OFFICER)**
Age –
Sex -
19.Location of Most Severe Physical Injury (To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. Head 2. Face 3.Eye 4.Neck 5.Chest 6.Back 7.Shoulder/ Upper Arm 8.Elbow 9.Lower Arm 10.Hand 11.Abdomen 12. Hip/ Upper Leg 13.Knee/ Lower Leg/ Foot 14.Entire Body
20.Type of Most Severe Physical Injury (To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. Amputation 2. Concussion 3. Internal 4.Bleeding 5.Contusion/ Bruise/ Abrasion 6.Burn.Fracture/ Dislocation

21.Refused Medical Treatment(To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. Yes 2. No
22.Safety Equipment(To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. None 2. Lap Belt 3. Harness 4.Lap Belt and Harness 5. Child Restraint 6. Helmet 7.Reserved 8. Airbag 9. Airbag and Seat belts 10.Safety Vest (Pedestrian only)
23.Airbag Deployment (To be filled by **RI, Technical)**
1. Front 2.Side 3.Other 4.Multiple

Apparent Contributing Circumstances:

24.Driver/ Pedal cyclist Action(To be filled by **POLICE OFFICER)**	
Vehicle 1:	Vehicle 2:
1. Unsafe Speed	1. Unsafe Speed
2. Driver's inattention	2. Driver's inattention
3. Failed to Obey Traffic Control Device	3. Failed to Obey Traffic Control Device
4. Failed to Yield Right-of-way to vehicle/ pedestrian	4. Failed to Yield Right-of-way to vehicle/ pedestrian
5. Improper Lane Change	5. Improper Lane Change
6. Improper Passing	6. Improper Passing
7. Improper Use/ Failed to Use Turn Signal	7. Improper Use/ Failed to Use Turn Signal
8. Improper Turning	8. Improper Turning
9. Following too closely	9. Following too closely
10. Backing Unsafely	10. Backing Unsafely
11. Improper Use/ No lights	11. Improper Use/ No lights
12. Wrong Way	12. Wrong Way
13. Improper Parking	13. Improper Parking
14. Failure to Keep Left	14. Failure to Keep Left

25.Vehicle Factors(To be filled by **RI, Technical)**		Pedestrian Factors **(** To be filled by **POLICE OFFICER)**
Vehicle 1:	Vehicle 2:	
1. Defective Lights	1. Defective Lights	1. Failed to obey Traffic Control Device
2. Defective Brakes	2. Defective Brakes	2. Crossing where Prohibited
3. Defective Steering	3. Defective Steering	3. Dark Clothing/Low Conspicuity to Driver
4. Defective Tires	4. Defective Tires	4. Inattentive
5. Defective Wheels	5. Defective Wheels	5. Failure to Yield Right of way
6. Defective Windows/ Windshield	6. Defective Windows/ Windshield	6. Walking on Wrong Side of the Road

7. Defective Mirrors	7. Defective Mirrors	7. Walking in Road When Sidewalk present
8. Defective Wipers	8. Defective Wipers	8. Running/Darting across traffic
9. Defective Veh Coupling/ Hitch/ Safety Chains	9. Defective Veh Coupling/ Hitch/ Safety Chains	9. None
10. Other Vehicle Factors	10. Other Vehicle Factors	10. Other Pedestrian Factor

26.Apparent Physical Status of Driver(To be filled by **POLICE OFFICER)**	
Vehicle 1:	Vehicle 2:
1. Apparently Normal	1. Apparently Normal
2. Alcohol Use	2. Alcohol Use
3. Drug Use(illicit)	3. Drug Use(illicit)
4. Medication	4. Medication
5. Alcohol and Drug/ Medication Use	5. Alcohol and Drug/ Medication Use
6. Physically Handicapped	6. Physically Handicapped
7. Illness	7. Illness
8. Fatigue	8. Fatigue
9. Fell Asleep	9. Fell Asleep

27.Cell Phone Use by Driver Vehicle 1 : **(** To be filled by **POLICE OFFICER)**	**Cell Phone Use by Driver Vehicle 2:** To be filled by **POLICE OFFICER)**
1. Hand held	1. Hand held
2. Hands free	2. Hands free

28.Vehicle/ Pedal cyclist action (To be filled by **PWD Engineer)**		**Pedestrian Action** (To be filled by **PWD Engineer)**
Vehicle 1:	Vehicle 2:	-
1. Going Straight Ahead	1. Going Straight Ahead	1. Pedestrian off road
2. Making Right Turn (not turn on red)	2. Making Right Turn (not turn on red)	2. Walking to/ from school
3. Making Left Turn	3. Making Left Turn	3. Walking/ Jogging with Traffic
4. Making U-Turn	4. Making U-Turn	4. Walking/ Jogging against Traffic
5. Starting from parking	5. Starting from parking	5. Playing on Road
6. Starting in Traffic	6. Starting in Traffic	6. Standing/ Lying/ Kneeling on Road
7. Slowing or Stopping	7. Slowing or Stopping	7. Getting on/ off vehicle
8. Stopped in Traffic	8. Stopped in Traffic	8. Pushing/ Working Vehicle
9. Parking	9. Parking	9. Other Working Roadways
10. Parked	10. Parked	10. Approaching/ Leaving School bus

11. Changing Lanes	11. Changing Lanes	11. Coming from Behind Parked Vehicles
12. Merging/ Traffic Lane Entering	12. Merging/ Traffic Lane Entering	Pre- crash Action
13.Backing	13. Backing	At intersection:
14. Driverless/ Moving	14. Driverless/ Moving	12. Crossing at Mark Crosswalk
15. Passing	15. Passing	13. Crossing at unmarked Crosswalk
16. Negotiating Curve	16. Negotiating Curve	At Mid-Block
17. Driving on Shoulder	17. Driving on Shoulder	14. Crossing at Mark Crosswalk
18. Right Turn on Red	18. Right Turn on Red	15. Crossing at unmarked Crosswalk
19. Other Vehicle/ Pedal cyclist Action	19 **.** Other Vehicle/ Pedal cyclist Action	16. Other Pedestrian Action

29.Traffic Controls (To be filled by **PWD Engineer)**
1. Police Officer
2. Watchman, Gates, etc.
3. Traffic Signal
4. Lane Markings
5. Channelization – Painted
6. Channelization – Physical
7. Warning Signal
8. Stop Sign
9. Flagman
10. No Control present
11. Flashing Traffic Control
12. School Zone
13. Adult Crossing Guard
30. Sequence Of Events (Select up to 4 options for vehicle) (To be filled by **RI, Technical)**
Non-Collision
1. Overturn/ Rollover 2. Fire/ Explosion 3.Immersion 4.Jack knife 5.Ran Off Road – Right
6. Ran Off Road – Left 7.Crossed Median/ Centre line 8.Downhill Runaway
9. Cargo/ Equipment Loss or Shift 10.Separation of units 11.Fell/ Jumped from Vehicle 12.Thrown/ Fallen Object 13.Equipment Failure 14.Other
31. Collision with person, Motor Vehicle, or Non- Fixed Object (To be filled by POLICE OFFICER)
1.Pedal cyclist 2.Pedestrian 3.Train/ Trolley/ other Railcar 4.Animal
5. Motor Vehicle in Transport 6.Motor Vehicle in Transport, other Roadway
7. Parked Motor Vehicle 8.Work Zone or Maintenance Equipment
9. Struck by Object Set in Motion by Motor Vehicle
10. Other Non-fixed Object

32. Collision with Fixed Object (To be filled by PWD Engineer)
1. Impact Attenuator/ Crash Cushion 2.Bridge Overhead Structure 3. Bridge Pier or Support
4. Bridge Parapet End 5.Bridge Rail 6.Guardrail Face
7.Guardrail End 8.Concrete Traffic Barrier
9. Other Traffic Barrier 10.Traffic Sign Support 11.Traffic Signal Standard 12.Light Standard 13.Other Post, pole, Support 14.Culvert 15. Curb 16.Ditch 17. Embankment 18.Fence 19.Tree 20.Mailbox
21. Fire Hydrant 22.Other Fixed Object

33.Vehicle Impact(To be filled by **RI, Technical)**	
Vehicle 1: Initial Impact-	Vehicle 2: Initial Impact-
Principal Impact-	Principal Impact-
1. Roof	1. Roof
2. Undercarriage	2. Undercarriage
3. Overturn	3. Overturn
None Visible	None Visible

34. Findings by Investigating Police Officer:

35. Findings by Investigating PWD Engineer:

36. Findings by Investigating Regional Inspector (Technical):

37. Photographs of Accident:

1. **Accident Photograph by Investigating Police Officer**
2. **Scene Photographs by Investigating PWD Engineer**
3. **Vehicle 8 angle and damage photographs of the vehicle by Investigating Regional Inspector (Technical)**

Signature of Investigating Police Officer	Signature of Investigating PWD Engineer	Signature of Investigating Regional Inspector (Technical)

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

ANNEXURE – 2

Guidance for Photographic Scene Evidence

The photography for vehicle trajectory (for each vehicle) structure is given below,

We have to go back 50m back from the incident before taking the scene photo.

1. Take 2 or 3 steps after taking a snap as mentioned.
2. Take look back at each area of impact if there are multiple area of impacts.

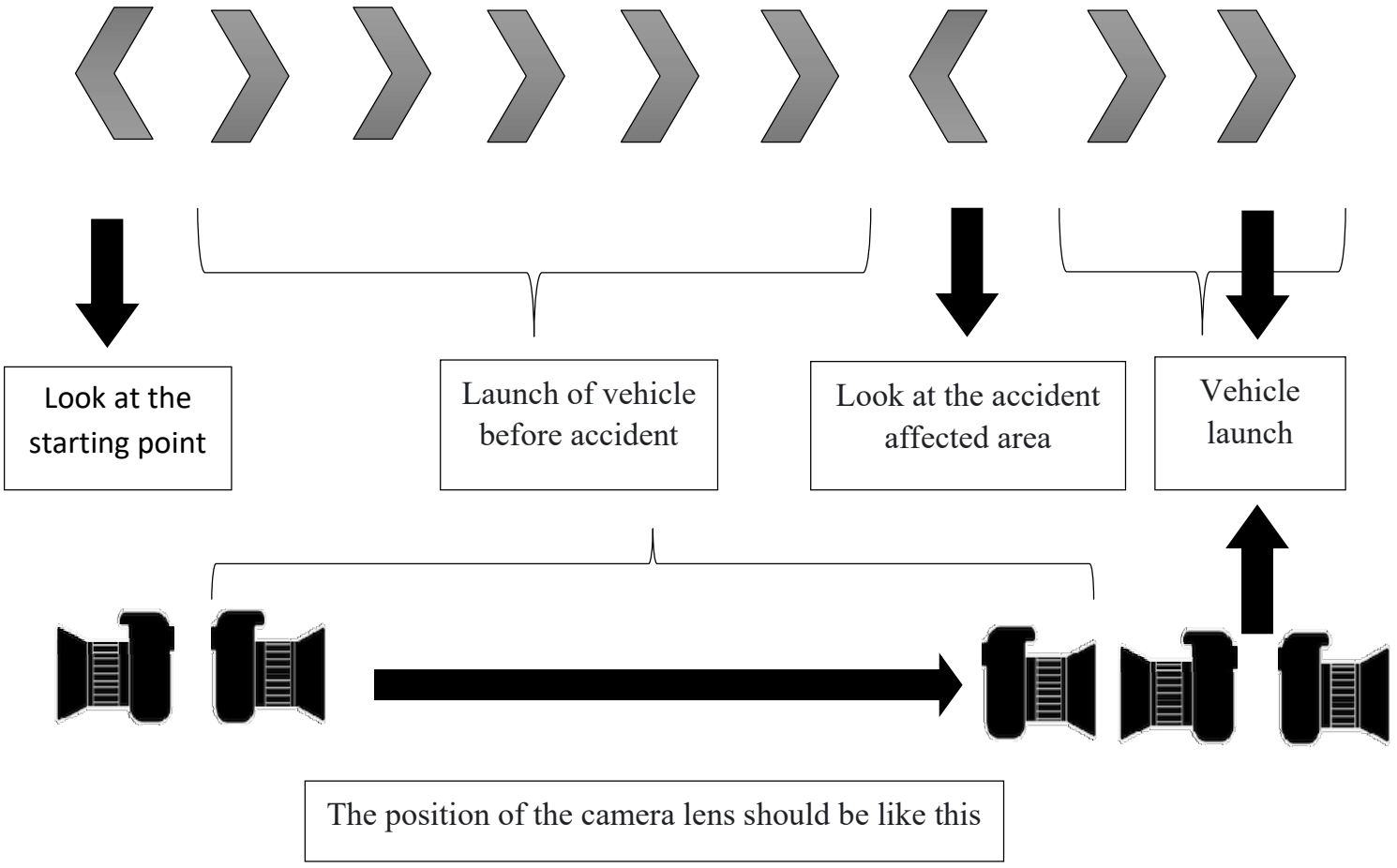
Look at the starting point
Launch of vehicle before accident
Look at the accident affected area
Vehicle launch
The position of the camera lens should be like this

Quadrangular pictures of the affected accident area

First angle

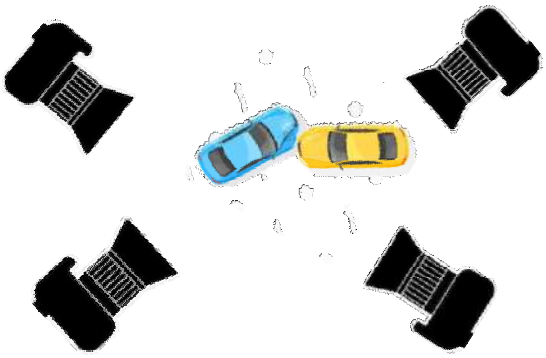

Second angle

Third angle

Fourth angle

Vehicle Photographic Evidence Collection Guide

Photo of accident vehicle

Phase-1

1 Sequence photographs to be taken from each side.

2 Show the damage to the vehicle by dividing the area of the photo into

Phase-2

1 Take a zoomed out photo of the damaged area.

2 Zoom in and take a photo of the damaged area.

Zoom out photo

Zoom in photo

Guidelines for Octagonal Photographs for Evidence of Accident Affected Vehicles

Vehicle Inspection-Exterior (Octagon Photo)

1. For this work octagonal photo has to be taken.
2. Try to take photos from all angles even if the angles are not perfect.
3. Photo is to be taken in clockwise direction

First angle

Second angle

Third angle

Fourth angle

Fifth angle

Sixth angle

Seventh angle

Eighth angle

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन,
परिवहन अनुभाग–3
संख्या–117 / 2023 / 2849 / 30–3–2023
लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जाँच योजना, 2023

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 135 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सड़क दुर्घटना जाँच सुविधा का उपबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित योजना बनाती हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम

1. (1) यह योजना उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जाँच योजना, 2023 कही जायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

परिभाषायें

2. (1) जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में –

(क) **'अधिनियम'** का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) से है;

(ख) **'सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)'** का तात्पर्य उस जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अथवा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम से है, जिसमें सड़क दुर्घटना घटित हो;

(ग) **'दुर्घटना जाँच प्रपत्र'** का तात्पर्य संलग्नक–1 में संलग्न दुर्घटना जॉच रिपोर्ट एकत्र करने और तैयार करने के लिए विहित प्रपत्र से है;

(घ) **'जिला स्तरीय समन्वय समिति'** का तात्पर्य ऐसी समिति से है, जो इस योजना के प्रस्तर–9 के अंतर्गत गठित हो;

(ड.) **'विषय विशेषज्ञ'** का तात्पर्य ऐसे किसी अर्ह और अनुभवी व्यक्ति या अभिकरण से है जिसे सड़क दुर्घटनाओं की जाँच एवं फोरेंसिक विश्लेषण करने की विशेषज्ञता हो;

(च) **'अभियंता'** का तात्पर्य जिला के अधिशासी अभियंता (प्रान्तीय खण्ड) लोक निर्माण विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट सहायक अभियंता से है;

(छ) **'अंतिम रिपोर्ट'** का तात्पर्य सड़क दुर्घटना जाँच दल द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से है जिसमें आकस्मिक जोखिम के कारकों को कम करने की संस्तुतियां सम्मिलित हैं;

(ज) **'अग्रणी अभिकरण'** का तात्पर्य सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा यथाआदेशित परिवहन विभाग के अधीन स्थापित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से है;

(झ) **'पुलिस अधिकारी'** का तात्पर्य जिला के ऐसे पुलिस अधिकारी से है, जो निरीक्षक रैंक के नीचे का न हो;

(ञ) **'संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)'** का तात्पर्य परिवहन विभाग के ऐसे मोटरयान निरीक्षक से है जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो;

(ट) **'सड़क दुर्घटना'** का तात्पर्य किसी सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त यान से है;

(ठ) **'सड़क दुर्घटना जाँच समिति'** का तात्पर्य उक्त योजना के प्रस्तर–4 के अधीन गठित किसी समिति से है ;

(ड) **'राज्य स्तरीय समन्वय समिति'** का तात्पर्य इस योजना के प्रस्तर–10 के अधीन गठित किसी समिति से है;

(2) इस योजना में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं;

नोडल अधिकारी एवं सहायक अधिकारी

3. (1) जिला में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिला का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नोडल अधिकारी होगा। कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त (यातायात) तथा शेष जिला में पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) नोडल अधिकारी का सहयुक्त अधिकारी होगा।

(2) नोडल अधिकारी इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(3) नोडल अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) के कर्तव्य इस योजना के विभिन्न प्रस्तरों में दिये गये हैं।

सड़क दुर्घटना जाँच समिति

4. (1) प्रत्येक जिला में एक सड़क दुर्घटना जाँच समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) यातायात निरीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट निरीक्षक से अन्यून पुलिस अधिकारी;

(ख) लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (प्रांतीय खण्ड) द्वारा नामनिर्दिष्ट अभियंता;

(ग) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा नामनिर्दिष्ट संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)।

(2) जिला का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त एवं अधिशासी अभियन्ता (प्रांतीय खण्ड) से नामनिर्दिष्ट अधिकारी का विवरण ज्ञात करने के पश्चात् समिति का गठन करेगा और जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट अधिकारी के स्थानान्तरण आदि की स्थिति में यथास्थिति पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त या अधिशासी अभियन्ता से तत्काल नामनिर्देशन प्राप्त करके जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) उक्त योजना के अधीन ऐसी सड़क दुर्घटनाओं की जाँच किया जाना अनिवार्य होगा, जहाँ तीन या तीन से अधिक मृत्यु हुई हो।

(5) जिला में घटित ऐसी सड़क दुर्घटना, जिसमें कम से कम तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो, के सम्बन्ध में सूचना, दुर्घटना स्थल के पुलिस थाना प्रभारी द्वारा तत्काल समिति के सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल समिति के सदस्यों को सूचित करे।

जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी के कर्तव्य

5. (1) सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर जॉचकर्ता पुलिस अधिकारी को तत्काल सड़क दुर्घटनास्थल के लिए प्रस्थान करना होगा तथा समिति के अन्य सदस्यों को सूचित करना होगा।

(2) उसे दुर्घटना की फोरेंसिक जॉच के सम्बन्ध में अग्रणी अभिकरण तथा यातायात निदेशालय को सूचित करना होगा।

(3) तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुँचकर वह जाँच की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(4) जॉचकर्ता पुलिस अधिकारी को क्रम संख्या–3, 7, 8, 9 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 37(1) से सम्बन्धित दुर्घटना जॉच रिपोर्ट में दुर्घटना जॉच विवरण को पूरा करना होगा।

(5) उसे अभियंता तथा सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के साथ रिपोर्ट पर दुर्घटना के पाँच दिवस के भीतर विचार–विमर्श करना होगा।

(6) उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट, मेडिको लीगल प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि को एकत्र करना होगा; दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों का साक्षात्कार आयोजित कराना होगा, तथा समिति के सदस्यों एवं विषय विशेषज्ञ, यदि कोई हो, के संयुक्त हस्ताक्षर से अन्तिम रिपोर्ट संग्रहीत करना होगा और अन्तिम रिपोर्ट सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), यातायात निदेशालय एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय स्थित अग्रणी अभिकरण को दुर्घटना के दस दिनों के भीतर प्रेषित करनी होगी।

जाँचकर्ता अभियन्ता के कर्तव्य

6. (1) दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुँचकर, समिति के अन्य सदस्यों के साथ जाँचकर्ता अभियंता द्वारा जाँच की कार्यवाही की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सड़क अभियंत्रण के दृष्टिकोण से फोटोग्राफिक साक्ष्य संग्रहण **(अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न)** के मार्गदर्शनों के अनुसार दृश्य फोटोग्राफ के साथ दृश्य की समुचित जाँच की जाय।

(3) जॉचकर्ता अभियंता को क्रम संख्या–1, 2, 4, 5, 6, 28, 29, 32, 35, 37(2) से सम्बन्धित दुर्घटना जाँच रिपोर्ट के दुर्घटना जॉच विवरण को पूरा करना होगा।

(4) समिति के अन्य सदस्यों से विचार–विमर्श करने के पश्चात वह तैयार की गई अन्तिम रिपार्ट पर हस्ताक्षर करेगा और समस्त फोटोग्राफ उपलब्ध करायेगा।

जाँचकर्ता सम्भागीय निरीक्षक

7. (1) दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुँचकर जॉचकर्ता सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के साथ जाँच की कार्यवाही की जायेगी।

(प्राविधिक) के कर्तव्य

(2) वह अधिनियम की धारा 136 और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अनुसार यान का निरीक्षण करेगा।

(3) फोटोग्राफिक साक्ष्य संग्रहण में मार्गदर्शन **(अनुलग्नक–2 के रूप में करेगा)** के अनुसार वह सड़क दुर्घटना में सम्मिलित यानों का अष्टकोणीय फोटोग्राफ लेगा।

(4) वह क्रम सं0–11, 12, 23, 25, 30, 33, 36 एवं 37(3) से सम्बन्धित दुर्घटना जॉच रिपोर्ट के दुर्घटना जाँच विवरणों को पूरा करेगा।

(5) समिति के अन्य सदस्यों से विचार विमर्श के उपरान्त वह तैयार की गई अन्तिम रिपार्ट पर हस्ताक्षर करेगा एवं समस्त फोटोग्राफ उपलब्ध करायेगा।

अंतिम रिपोर्ट तैयार किया जाना

8. सड़क दुर्घटना जाँच समिति के समस्त सदस्य अन्तिम दुर्घटना जाँच रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने और तद्नुसार उस पर हस्ताक्षर करने के लिए पाँच कार्य दिवसों के भीतर एक बैठक बुलायेंगे।

जिला स्तरीय समन्वय समिति

9. (1) सड़क दुर्घटना जाँच समिति के सदस्यों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने तथा किसी विवाद का समाधान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक(यातायात) अथवा पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस उपायुक्त;

(ख) मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी;

(ग) अधिशासी अभियंता (प्रांतीय खण्ड) लोक निर्माण विभाग;

(घ) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन);

(ड़.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी;

(च) संबंधित जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक अभिकरणों/एन0जी0ओ0 का प्रतिनिधि अथवा संबंधित जिले में जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कोई अनुभवी/विशेषज्ञ व्यक्ति;

(2) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा और समिति के अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट के निदेश पर वह समिति की कार्यवाहियों यथा गठन एवं पत्राचार सम्बन्धी कार्य आदि का निष्पादन करेगा।

(3) सड़क दुर्घटना जाँच समिति के समस्त तीन सदस्य किसी समय, किसी विवाद अर्थात् अंतर्वैयक्तिक समन्वय या अन्य सम्बन्धित कठिनाइयों का समाधान करने के लिए जिला समन्वय समिति को लिख सकते हैं।

(4) यदि सड़क दुर्घटना जाँच समिति का कोई सदस्य अधिनियम, केन्द्रीय मोटरयान नियम, राज्य मोटरयान नियमावली अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के निदेशों की अवहेलना का दोषी पाया

जाता है तो उक्त समन्वय समिति, ऐसी विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करेगी जैसाकि समिति द्वारा उचित समझा जाय।

(5) जिला स्तरीय समन्वय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सड़क दुर्घटना जॉच समिति द्वारा जाँच के दौरान समय–सीमाओं का अनुसरण किया जाय।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति

10. (1) दुर्घटना जॉच से सम्बन्धित समस्त जोखिमधारकों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जायेगी।

(2) पूर्वोक्त समिति की संरचना निम्नवत होगी :–

(क) परिवहन आयुक्त	अध्यक्ष
(ख) पुलिस महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय	सदस्य
(ग) प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट मुख्य अभियन्ता	सदस्य
(घ) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
(ड़) अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)	सदस्य सचिव
(च) राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक अभिकरणों/एन0जी0ओ0 का प्रतिनिधि अथवा राज्य स्तर पर इस क्षेत्र में अनुभवी/विशेषज्ञ।	सदस्य

(3) पूर्वोक्त समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास में दुर्घटना जॉच रिपोर्ट और कृत कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी।

कृत कार्यवाही रिपोर्ट

11. (1) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) उक्त त्रैमास से समस्त दुर्घटना जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक त्रैमास के लिए कृत कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करेगा। उक्त रिपोर्ट त्रैमास समाप्ति के पैंतालिस दिवसों के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट में विभिन्न दुर्घटनाओं के आकस्मिक कारकों का विश्लेषण सम्मिलित होगा।

(2) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सड़क दुघर्टना जाँच समिति से प्राप्त समस्त रिपोर्टों हेतु अभिरक्षक के रूप में सेवा करेगा तथा समस्त सम्बन्धित पत्राचार करेगा।

(3) सड़क दुर्घटना जाँच समिति से प्राप्त समस्त जाँच रिपोर्टों को कृत कार्यवाही रिपोर्ट के साथ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में रखा जायेगा। दुर्घटना जाँच रिपोर्ट एवं कार्यवाही रिपोर्ट में कृत समस्त संस्तुतियों और सुझावों को समयबद्ध रीति से जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संलग्नक–1

प्रारूप

विस्तृत दुर्घटना जाँच रिपोर्ट
सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– के लिए दुर्घटना जाँच रिपोर्ट

..... द्वारा प्राधिकृत	
..... द्वारा समीक्षाकृत	
संस्करण	
जिला	
थाना	

दुर्घटना का विवरण

(पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

दुर्घटना की तिथि	
दुर्घटना का समय	
दुर्घटना का स्थान	
जिला का नाम	
निकटतम थाना	
दुर्घटना के प्रति प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता	पुलिस/जिला परिवहन अधिकारी/सरकारी एम्बुलेंस
प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के पहुँचने का समय	
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	
सड़क दुर्घटना जाँच समिति के सदस्य	
मार्ग का नाम	
मार्ग का प्रकार	
क्षेत्र और थल चिन्ह	
घटना की जीपीएस स्थिति	
दुर्घटना तीव्रता	घातक/गम्भीर/लघु/घायल नहीं
ईएमएस पहुँचने का समय	
अस्पताल का नाम, जहाँ दुर्घटना पीड़ित को ले जाया गया	
दुर्घटना में सम्मिलित यानों की संख्या	
यान का मेक, मॉडल और ट्रिम	

यान की स्थिति	पूर्णतया क्षतिग्रस्त/आंशिक क्षतिग्रस्त/ क्षतिग्रस्त नहीं
दुर्घटना में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	
दुर्घटना में सम्मिलित पैदल व्यक्तियों की संख्या	
दुर्घटना में सम्मिलित वस्तु	
मृत व्यक्तियों की कुल संख्या	
दुर्घटना में सम्मिलित व्यक्तियों के चोट की स्थिति	घातक/गम्भीर/लघु/घायल नहीं
पैदल व्यक्तियों के चोट की स्थिति	घातक/गम्भीर/लघु/घायल नहीं/लागू नहीं

विस्तृत दुर्घटना जाँच रिपोर्ट

1. सड़क विभाजन (लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा भरा जाना है) 1. बाधा मध्यिका 2.घुमावदार मंझला 3.सकल मध्यिका 4.चित्रित मध्यिका 5. कोई नहीं
2. अस्थायी यातायात नियंत्रण क्षेत्र (लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा भरा जाना है) 1. कोई नहीं 2. निर्माण क्षेत्र 3. रख–रखाव क्षेत्र 4. उपयोगिता क्षेत्र 5. दुर्घटना क्षेत्र
3. प्रकाश स्थिति (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है) 1. दिन का प्रकाश 2. गोधूलि बेला 3. अन्धकार (मार्ग प्रकाश नहीं) 4. अन्धकार (मार्ग प्रकाश चालू, धब्बा) 5. भोर 6. अन्धकार (मार्ग प्रकाश बन्द) 7. अन्धकार (मार्ग प्रकाश चालू, लगातार)
4. सड़क व्यवस्था (लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा भरा जाना है) 1. एक्सप्रेस मार्ग 2. राज्य राजमार्ग 3. राष्ट्रीय राजमार्ग 4. ग्रामीण सड़क 5. नगरीय मार्ग
5. सड़क चरित्र (लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा भरा जाना है) 1. सीधा और समतल 2. सीधा और चढ़ाई 3. सीधा और पहाड़ी 4. वक्र और समतल 5. वक्र और चढ़ाई 6. वक्र और पहाड़ी
6. सड़क की सतह का प्रकार (लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा भरा जाना है) 1. कंक्रीट 2. ब्लैकटॉप 3. कंकड़ 4. स्टील ग्रिड 5. धूल मिट्टी 6. गड्ढ़ा 7. धंसी हुई 8. सड़क पर निर्माण सामग्री
7. सड़क की सतह की स्थिति (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है) 1. सूखा 2. गीला 3. बर्फीली 4. पानी (स्थिर/गतिशील) 5. रेत, कीचड़, धूल 6. तेल
8. पर्यावरणीय स्थिति (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है) 1. साफ 2. कोहरा/धुंध/धुंआ 3. बर्फ 4. तेज हवाएं 5. वर्षा 6. उड़ती रेत या धूल 7. चमकती धूप
9. दुर्घटना में सम्मिलित कुल यानों की संख्या (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
10. दुर्घटना का प्रकार (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है) (क) अन्य मोटर वाहन के साथ प्रथम घटना के रूप में 1. समान दिशा (पीछे का हिस्सा) 2. समान दिशा (एकतरफ से आघात) 3. समकोण 4. विपरीत दिशा (हियर ऑन, कोणीय) 5. विपरीत दिशा (एकतरफ से आघात) 6. खड़े वाहन से टकराना 7. दाँये मुड़ना/बाँये मुड़ना/यू टर्न 8. वाहन पीछे करना 9. अतिक्रमण

(ख) नीचे के साथ प्रथम घटना के रूप में 1. ओवरटर्न 2. स्थिर वस्तु 3. पशु 4. पैदल व्यक्ति 5. सायकिल सवार 6. अस्थिर वस्तु 7. अन्य वाहन

11. बड़े/भारी यान का परमिट (संभागीय निरीक्षक, प्राविधिक द्वारा भरा जाना है)	
वाहन–1	वाहन–2
1. हाँ	1. हाँ
2. नहीं	2. नहीं

12. यान का प्रकार (संभागीय निरीक्षक, प्राविधिक द्वारा भरा जाना है)	
क) वाहन–1	वाहन–2
निजी/वाणिज्यिक/अन्य	निजी/वाणिज्यिक/अन्य
ख) वाहन–1	वाहन–2
यात्री वाहन	यात्री वाहन
1. कार/मिनी वैन	1. कार/मिनी वैन
2. यात्री वाहन (<09 सीट)	2. यात्री वाहन (<09 सीट)
3. मोटर सायकिल	3. मोटर सायकिल
4. आटोरिक्शा	4. आटोरिक्शा
5. पेडल सायकिल	5. पेडल सायकिल
6. अन्य	6. अन्य
ट्रक/बस	
7. सिंगल यूनिट (2 एक्सिल)	7. सिंगल यूनिट (2 एक्सिल)
8. सिंगल यूनिट (3 एक्सिल)	8. सिंगल यूनिट (3 एक्सिल)
9. ट्रेलर सहित हल्का ट्रक	9. ट्रेलर सहित हल्का ट्रक
10. ट्रेलर सहित सिंगल यूनिट ट्रक	10. ट्रेलर सहित सिंगल यूनिट ट्रक
11. ट्रक ट्रैक्टर	11. ट्रक ट्रैक्टर
12. ट्रैक्टर सेमी–ट्रेलर	12. ट्रैक्टर सेमी–ट्रेलर
13. ट्रैक्टर डबल/ट्रिपल	13. ट्रैक्टर डबल/ट्रिपल
14. अन्य ट्रक	14. अन्य ट्रक
15. बस/बड़ी वैन (>9 सीट)	15. बस/बड़ी वैन (>9 सीट)
ग) विशेष कार्य यान	विशेष कार्य यान
1 कार्य उपकरण	1 कार्य उपकरण
2 पुलिस	2 पुलिस
3 सैन्य	3 सैन्य
4 अग्निशमन	4 अग्निशमन
5 सार्वजनिक बचाव	5 सार्वजनिक बचाव
6 एम्बुलेंस	6 एम्बुलेंस
7 शैक्षिक संस्थान बस	7 शैक्षिक संस्थान बस

8 ट्रांजिट बस	8 ट्रांजिट बस
9 अन्य	9 अन्य
घ) कार्गो बाडी प्रकार	कार्गो बाडी प्रकार
वाहन 1:	वाहन 1:
1 बस (9–15सीट)	1 बस (9–15सीट)
2 बस (>15सीट)	2 बस (>15सीट)
3 वैन/बन्द बाक्स	3 वैन/बन्द बाक्स
4 कार्गो टैंक	4 कार्गो टैंक
5 फ्लैट बेड	5 फ्लैट बेड
6 डम्प	6 डम्प
7 कंक्रीट मिक्सर	7 कंक्रीट मिक्सर
8 ऑटो ट्रांसपोर्टर	8 ऑटो ट्रांसपोर्टर
9 कचरा वाहन	9 कचरा वाहन
10 हॉपर (अनाज, कंकड़, चिप्स)	10 हॉपर (अनाज, कंकड़, चिप्स)
11 पोल ट्रेलर	11 पोल ट्रेलर
12 कार्गो बॉडी नहीं	12 कार्गो बॉडी नहीं
13. यान की यात्रा की दिशा (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)	
वाहन 1:	वाहन 2:
1 उत्तर	1 उत्तर
2 पूर्व	2 पूर्व
3 दक्षिण	3 दक्षिण
4 पश्चिम	4 पश्चिम

दुर्घटना पीड़ित की जाँच

14. पीड़ित व्यक्ति किस यान का है (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
1 वाहन 1
2 वाहन 2
3 पेडल सायकिल
4 पैदल
5 अन्य
15. यान में/पर स्थिति (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
3 चालक। 1, 2, 4 से 09 तक–यात्री
10 कार्गो क्षेत्र 11. बाहर सवार/लटका हुआ
16. यान से निकासी (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
1. निकला नहीं 2 निकला 3 आंशिक निकला 4 फँसा हुआ
17. पीड़ित की भौतिक स्थिति (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
1 मृत 2 अक्षम 3 मध्यम चोट 4 दर्द की शिकायत

18. पीड़ित का विवरण (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
उम्र–
लिंग–
19. सबसे गम्भीर शारीरिक चोट का स्थान (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
1 सिर 2 चेहरा 3 आँख 4 गर्दन 5 सीना 6 पीठ 7 कन्धा/ऊपरी बाँह 8 कुहनी 9 नीचे की बाँह 10 हाथ 11 पेट 12 कूल्हा/ऊपरी टाँग 13 घुटना/निचली टाँग/पैर 14 सम्पूर्ण शरीर
20. सबसे अधिक गम्भीर शारीरिक चोट का प्रकार (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
1 विच्छेदन 2 मस्तिष्क आघात 3 आंतरिक चोट 4 रक्तस्राव 5 घाव/चोट/घर्षण 6 जला/फ्रैक्चर/हड्डी विस्थापन
21. चिकित्सीय उपचार से इन्कार किया गया (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
1 हाँ 2 नहीं
22. सुरक्षा उपकरण (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
1 कोई नहीं 2 लैप बेल्ट 3 सुरक्षा साज 4 लैप बेल्ट और सुरक्षा साज 5 बाल सुरक्षा 6 हेल्मेट 7 आरक्षित 8 एअरबैग 9 एअरबैग और सीट बेल्ट 10 सुरक्षा कवच (केवल पैदल यात्री)
23. एअरबैग परिनियोजन (संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भरा जाना है)
1 सामने 2 बगल में 3 अन्य 4 गुणित

<u>स्पष्ट योगदान देने वाली परिस्थितियाँ :–</u>

24. चालक/पैदल/साइकिल चालक की कार्यवाही (पुलिस अधिकारी द्वारा भरा जाना है)	
यान 1:	यान 2:
1 असुरक्षित गति	1 असुरक्षित गति
2 चालक की असावधानी	2 चालक की असावधानी
3 यातायात नियंत्रण डिवाइस का पालन करने में विफल रहा	3 यातायात नियंत्रण डिवाइस का पालन करने में विफल रहा
4 वाहन/पैदल यात्री के रास्ते का अधिकार देने में विफल रहा	4 वाहन/पैदल यात्री के रास्ते का अधिकार देने में विफल रहा
5 अनुचित लाइन परिवर्तन	5 अनुचित लाइन परिवर्तन
6 अनुचित तरीके से गुजरना	6 अनुचित तरीके से गुजरना
7 टर्न सिग्नल का अनुचित प्रयोग/प्रयोग करने में विफल रहा	7 टर्न सिग्नल का अनुचित प्रयोग/प्रयोग करने में विफल रहा
8 अनुचित मुड़ना	8 अनुचित मुड़ना
9 अत्यधिक निकटता से पीछा करना	9 अत्यधिक निकटता से पीछा करना
10 असुरक्षित रूप से वाहन पीछे करना	10 असुरक्षित रूप से वाहन पीछे करना
11 प्रकाश का अनुचित प्रयोग/प्रयोग नहीं	11प्रकाश का अनुचित प्रयोग/प्रयोग नहीं
12 गलत दिशा	12 गलत दिशा

13 अनुचित पार्किंग		13 अनुचित पार्किंग
14 बाँये रखने में विफल रहा		14 बाँये रखने में विफल रहा
25. यान कारक (संभागीय निरीक्षक, प्राविधिक द्वारा भरा जाना है)		पैदल यात्री कारक (**पुलिस अधिकारी** द्वारा भरा जाना है)
यान 1:	यान 2:	
1 दोषपूर्ण प्रकाश	1 दोषपूर्ण प्रकाश	1 यातायात नियंत्रण डिवाइस का पालन करने में विफल रहा
2 दोषपूर्ण ब्रेक्स	2 दोषपूर्ण ब्रेक्स	2 निषिद्ध स्थान पर पार करना
3 दोषपूर्ण स्टीयरिंग	3 दोषपूर्ण स्टीयरिंग	3 गहरे रंग के कपड़े/चालक को कम दृष्टि स्पष्टता
4 दोषपूर्ण टायर	4 दोषपूर्ण टायर	4 असावधान
5 दोषपूर्ण पहिये	5 दोषपूर्ण पहिये	5 रास्ते के अधिकार को प्राप्त करने में विफलता
6 दोषपूर्ण खिड़की/विंडशील्ड	6 दोषपूर्ण खिड़की/विंडशील्ड	6 सड़क पर गलत दिशा में चलना
7 दोषपूर्ण शीशे	7 दोषपूर्ण शीशे	7 सड़क पर चलना, जब फुटपाथ हो
8 दोषपूर्ण वाइपर्स	8 दोषपूर्ण वाइपर्स	8 पूरे यातायात में दौड़ना
9 दोषपूर्ण युग्मन/हिच/सुरक्षा श्रृंखला	9 दोषपूर्ण युग्मन/हिच/सुरक्षा श्रृंखला	9 कोई नहीं
10 अन्य वाहन कारक	10 अन्य वाहन कारक	10 अन्य पैदल यात्री कारक

26. चालक की स्पष्ट शारीरिक स्थिति (**पुलिस अधिकारी** द्वारा भरा जाना है)	
वाहन 1:	वाहन 2:
1 स्पष्ट रूप से सामान्य	1 स्पष्ट रूप से सामान्य
2 अल्कोहल प्रयोग	2 अल्कोहल प्रयोग
3 अनुचित दवाओं का प्रयोग (अवैध)	3 अनुचित दवाओं का प्रयोग (अवैध)
4 दवा का प्रयोग	4 दवा का प्रयोग
5 शराब नशीली दवाओं/दवाओं का प्रयोग	5 शराब नशीली दवाओं/दवाओं का प्रयोग
6 शारीरिक रूप से विकलांग	6 शारीरिक रूप से विकलांग
7 बीमारी	7 बीमारी
8 थकान	8 थकान
9 सो गया	9 सो गया

27. चालक यान 1 द्वारा सेल फोन का प्रयोग (**पुलिस अधिकारी** द्वारा भरा जाना है)	**चालक यान 2 द्वारा सेल फोन का प्रयोग** (**पुलिस अधिकारी** द्वारा भरा जाना है)
1 हैण्ड हेल्ड	1 हैण्ड हेल्ड
2 हैण्ड्स फ्री	2 हैण्ड्स फ्री

28. यान/पेडल साइकिल कार्यवाही(लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा भरा जाना है)		**पैदल यात्री की कार्यवाही (लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता** द्वारा भरा जाना है)
वाहन 1	वाहन 2	—
1 सीधे आगे जा रहा	1 सीधे आगे जा रहा	1 सड़क से हटकर पैदल यात्री
2 दाहिनी ओर मुड़ना (लाल पर नहीं मुड़ना)	2 दाहिनी ओर मुड़ना (लाल पर नहीं मुड़ना)	2 स्कूल से आना जाना
3 बाँये मुड़ना	3 बाँये मुड़ना	3 यातायात के साथ चलना/जागिंग करना
4 यू टर्न बनाना	4 यू टर्न बनाना	4 यातायात के विरुद्ध चलना/जागिंग करना
5 पार्किंग से शुरू	5 पार्किंग से शुरू	5 सड़क पर खेलना
6 यातायात में शुरू	6 यातायात में शुरू	6 सड़क पर खड़े होना/लेटना/घुटने टेकना
7 धीमे या रुकना	7 धीमे या रुकना	7 वाहन पर चढ़ना/उतरना
8 यातायात में रुका	8 यातायात में रुका	8 धक्का देना/वाहन पर कार्य करना
9 पार्किंग	9 पार्किंग	9 अन्य कार्य सड़क पर करना
10 पार्क किया गया	10 पार्क किया गया	10 स्कूल बस को पकड़ना/छोड़ना
11 लेन बदलना	11 लेन बदलना	11 खड़े वाहनों के पीछे से आना
12 संविलीनीकृत/ यातायात लेन में प्रवेश	12 संविलीनीकृत/ यातायात लेन में प्रवेश	दुर्घटना पूर्व कार्यवाही
13 वाहन पीछे करना	13 वाहन पीछे करना	चौराहों पर–
14 चालक विहीन/ चलना	14 चालक विहीन/ चलना	12 मार्क क्रासवाक पर क्रासिंग
15 पास करना	15 पास करना	13 अनमार्क क्रासवाक पर क्रासिंग
16 निगोसिएटिंग वक्र	16 निगोसिएटिंग वक्र	मिड ब्लाक पर–
17 सड़क के किनारे पर वाहन चलाना	17 सड़क के किनारे पर वाहन चलाना	14 मार्क क्रासवाक पर क्रासिंग
18 लाल पर दाँये मुड़ना	18 लाल पर दाँये मुड़ना	15 अनमार्क क्रासवाक पर क्रासिंग
19 अन्य वाहन/पेडल सायकिल चालक कार्यवाही	19 अन्य वाहन/पेडल सायकिल चालक कार्यवाही	16 अन्य पैदल यात्रियों की कार्यवाही
29. यातायात नियंत्रण (लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा भरा जाना है)		
1 पुलिस अधिकारी		
2 वाचमैन, गेट आदि		
3 यातायात संकेत		
4 लेन चिन्ह		
5 चैनेलाइजेशन–पेंट किया हुआ		
6 चैनेलाइजेशन–भौतिक		
7 चेतावनी संकेत		

8 स्टाप संकेत
9 फ्लैगमैन
10 नियंत्रण नहीं
11 यातायात नियंत्रण सम्बन्धित चेतावनी
12 स्कूल क्षेत्र
13 वयस्क क्रासिंग रक्षक
30. घटनाओं के अनुक्रम (यान के लिए 04 विकल्प चुनें) (**संभागीय निरीक्षक, प्राविधिक** द्वारा भरा जाना है)
गैर–टकराव
1 पलटना/रोल ओवर 2 अग्नि/विस्फोट 3 विसर्जन 4 जैक चाकू 5 सड़क से भागा–दायें
6 सड़क से भागा–बाँयें 7 मध्य/केन्द्र रेखा पार किया 8 ढलान से नीचे उतरकर भागना
9 कार्गो/उपकरण हानि या स्थानान्तरण 10 इकाइयों का पृथक्करण 11 वाहन से गिरा/कूदा 12 फेंकी/गिरी हुई वस्तु 13 उपकरण विफलता 14 अन्य
31. व्यक्ति, मोटर यान या अस्थिर वस्तु से टकराव (**पुलिस अधिकारी** द्वारा भरा जाना है)
1 पेडल साइकिल चालक 2 पैदल यात्री 3 रेल/ट्रॉली/अन्य रेल कार 4 पशु
5 परिवहन में मोटर वाहन 6 परिवहन, अन्य सड़क मार्ग में मोटर वाहन
7 पार्क किया गया मोटर वाहन 8 कार्य–क्षेत्र या रख रखाव उपकरण
9 मोटर वाहन द्वारा अस्थिर वस्तु में टकराव के बाद गतिमान किया गया
10 अन्य अस्थिर वस्तु
32. स्थिर वस्तु के साथ टकराव (**लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता** द्वारा भरा जाना है)
1 प्रभाव क्षीणक/क्रैश कुशन 2 पुल ओवरहेड संरचना 3 घाट पुलया सहारा
4 पुल पैरापेट समाप्त 5 पुल रेल 6 रेलिंग फेस
7 रेलिंग समाप्त 8 कंक्रीट यातायात अवरोध
9 अन्य यातायात अवरोध 10 यातायात चिन्ह सहारा 11 यातायात संकेत मानक 12 प्रकाश मानक
13 अन्य पोस्ट, पोल, सहारा 14 पुलिया 15 नियंत्रण 16 खाई 17 तटबंध 18 बाड़ 19 पेड़ 20 मेल बॉक्स
21 अग्नि हाइड्रेंट 22 अन्य स्थिर वस्तु

33. यान प्रभाव (**संभागीय निरीक्षक, प्राविधिक** द्वारा भरा जाना है)	
वाहन 1: प्रारम्भिक प्रभाव	वाहन 2: प्रारम्भिक प्रभाव
प्रधान प्रभाव	प्रधान प्रभाव
1 छत	1 छत
2 अण्डर कैरिज	2 अण्डर कैरिज
3 पलटना	3 पलटना
अस्पष्ट	अस्पष्ट

34. पुलिस अधिकारी की जाँच के निष्कर्ष

35. लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता की जाँच के निष्कर्ष

36. संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की जाँच के निष्कर्ष

37. दुर्घटना के फोटोग्राफ्स

(1) दुर्घटना की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा

(2) दुर्घटना की जाँच कर रहे लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा

(3) संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक) द्वारा देखे गये क्षतिग्रस्त वाहन के अष्टकोणीय फोटोग्राफ्स

जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर	जाँच कर रहे लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता के हस्ताक्षर	जाँच कर रहे संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के हस्ताक्षर

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संलग्नक–2

फोटोग्राफिक साक्ष्य संकलन मार्गदर्शिका

वाहन प्रक्षेप पथ के लिए फोटोग्राफी (प्रत्येक वाहन के लिए) संरचना नीचे दी गयी है,

1. दुर्घटना स्थल की फोटो लेने से पहले हमें 50 मीटर पीछे जाना है।
2. प्रत्येक फोटो लेने के बाद दो या तीन कदम आगे बढ़ें।
3. अधिक दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र होने पर प्रत्येक क्षेत्र का फोटो लें।

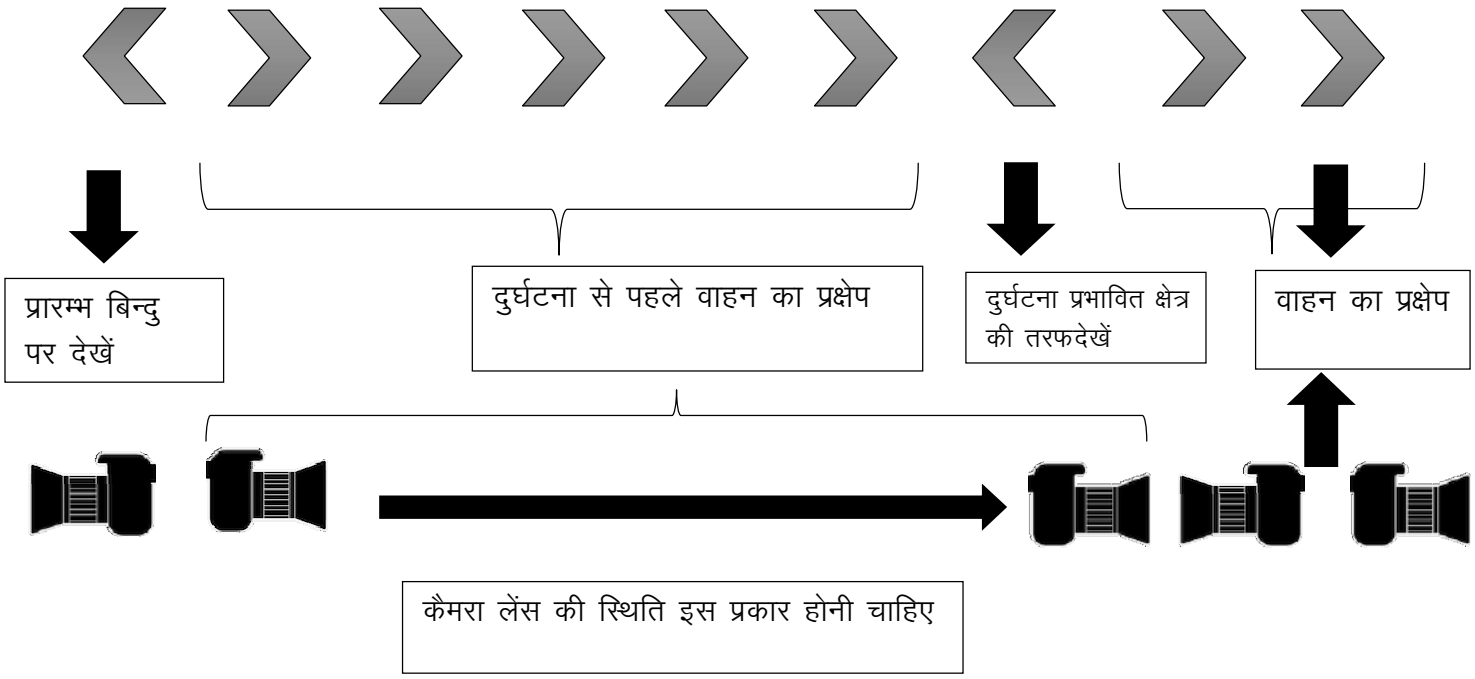

प्रभावित दुर्घटना क्षेत्र के चतुर्कोणीय चित्र

प्रथम कोण

द्वितीय कोण

तृतीय कोण

चतुर्थ कोण

वाहन फोटोग्राफिक साक्ष्य संकलन मार्गदर्शिका

दुर्घटनाग्रस्त वाहन का फोटो वाह्य

चरण–1

1 प्रत्येक तरफ से क्रमबद्ध फोटो लिया जाय।

2 फोटो के क्षेत्र को 09 भागों में विभाजित कर वाहन की क्षति को दिखायें।

चरण–2

1 क्षतिग्रस्त हिस्से की फोटो जूम आउट करके लें।
2 क्षतिग्रस्त हिस्से की फोटो जूम इन करके लें।

जूम आउट फोटो

जूम इन फोटो

दुर्घटना प्रभावित यान के साक्ष्य हेतु अष्टकोणीय फोटोग्राफ के लिए मार्गदर्शन

वाहन की जाँच–वाह्य (अष्टकोणीय फोटो)

1. इस कार्य हेतु अष्टकोणीय फोटो लेनी है।
2. यदि कोण सटीक न हों तो भी सभी कोणों से फोटो लेने का प्रयास करें।
3. फोटो क्लॉकवाइस दिशा में लेनी है।

प्रथम कोण

द्वितीय कोण

तृतीय कोण

चतुर्थ कोण

पंचम कोण

षष्ठम कोण

सप्तम कोण

अष्टम कोण

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-**117/2023/2849(1)** तीस-**3-2023** तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक **12** अक्टूबर, **2023** के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-**4**, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की **700** प्रतियां परिवहन अनुभाग-**3**, कक्ष संख्या-**323**, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

रेनू वर्मा
उप सचिव ।

संख्या- **117/2023/2849(1)/** तीस-**3-2023** तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग को मा**0** मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2 सचिव, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी, कक्ष संख्या-**249**, विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
3 सचिव, भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, **1** संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4 प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
7 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
8 अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9 क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी/पश्चिमी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
10 परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11 पुलिस महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय ।
12 प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
13 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
14 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
15 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/प्रयागराज/कानपुर नगर गौतमबुद्धनगर / आगरा/ गाजियाबाद।
16 समस्त , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (द्वारा परिवहन आयुक्त) ।
17 समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उ**0**प्र**0** द्वारा परिवहन आयुक्त)।
18 समस्त उप परिवहन आयुक्त / समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
19 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
अनु सचिव ।